पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 225/2020

अनवान :

1. दशरथ पुत्र शंकरलाल पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
2. पूजा पत्नी पवन कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
3. मोनिका पुत्री पवन कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिये वली कुदरती माता पूजा पत्नी शंकरलाल निवासी कणाउ त0 भादरा।
4. अनिल पुत्र पवन कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट उम्र 10 वर्ष नाबालिग जरिये वली कुदरती माता पूजा पत्नी शंकरलाल निवासी कणाउ त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1. शंकरलाल पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
2. चन्द्रपति पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
3. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कृष्ण गर्ग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री संजय की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं 291/285 के खसरा सं 308/2 की 4.477है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 01 शंकरलाल के नाम 2.706है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **में** वादी सं 01 दशरथ 1/3 हिस्सा, वादी सं 02 ता 04 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं 01 शंकरलाल 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29-01-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:59:01 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 225/2020

1. दशरथ पुत्र शंकरलाल पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
2. पूजा पत्नी पवन कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
3. मोनिका पुत्री पवन कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिये वली कुदरती माता पूजा पत्नी शंकरलाल निवासी कणाउ त0 भादरा।
4. अनिल पुत्र पवन कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट उम्र 10 वर्ष नाबालिग जरिये वली कुदरती माता पूजा पत्नी शंकरलाल निवासी कणाउ त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1. शंकरलाल पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
2. चन्द्रपति पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
3. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री कृष्ण गर्ग : वादीगण
वकील श्री संजय : प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 29-01-2021**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं 291/285 के खसरा सं 308/2 की 4.477है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 01 शंकरलाल के नाम 2.706है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादीगण के दादा अन्नाराम की खातेदारी हुआ करती थी। अन्नाराम से उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 शंकरलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद[illegible] अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो [illegible] ऐसा [illegible]ने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बिनाए मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:01 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उप[illegible] वादी सं 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया । राजीनामा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए व अपने पहचान पत्रों को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं 03 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया तथा प्रवितादी सं 04 की ओर से जवाब पेश

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

किया गया। उभयपक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 दशरथ पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी कणाउ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाउ प्रदर्श 1 नामान्तरण रजिस्ट्रर प्रदर्श 2 जमाबंदी भू प्रबन्धन विभाग प्रदर्श 3 व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाउ खाता सं 291/285 प्रदर्श 1 नामांतरण रजिस्टर गांव कणाउ प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये उनमें वाद भूमि वादी के दादा अन्नाराम के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में शंकरलाल के वारिसान में 2 पुत्र दशरथ व पवन कुमार (फौत) तथा इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। पूजा पत्नी पवन कुमार, मोनिका पुत्री पवन कुमार तथा अनिल पुत्र पवन कुमार जो पवन कुमार पुत्र शंकरलाल के जायज वारिसान है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं 01 के साथ साथ वादी सं 01 दशरथ 1/3 हिस्सा वादी सं 2 ता 4 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं 1 शंकरलाल 1/3 हिस्सा के खातेदार घोषित कियें जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार योग्य होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा कणाउ के खाता सं 291/285 के खसरा सं 308/2 की 4.477है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 01 शंकरलाल के नाम 2.706है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **में** वादी सं 01 दशरथ 1/3 हिस्सा, वादी सं 02 ता 04 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं 01 शंकरलाल 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner